अध्याय 8

मॉनीटरिंग प्रणाली

8.1 परियोजना मॉनीटरिंग

पीजीसीआईएल ठेकों को देने से पहले और देने के बाद दोनों स्तरों पर दो स्तरीय मॉनीटरिंग प्रणाली के माध्यम से परियोजनाओं को मॉनीटर करता है। कॉरपोरेट स्तर की मॉनीटरिंग के लिए कारपोरेट मॉनीटरिंग समूह (सीएमजी) और क्षेत्रीय स्तर की मॉनीटरिंग के लिए संबंधित क्षेत्रों के योजना पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन (पीईएसएम) विभाग जवाबदेही केंद्र हैं।

8.2 आबंटन पूर्व मॉनीटरिंग

जबकि डब्ल्यूपीपीपी ने कार्यकारी निदेशक (ठेका सेवाएं) स्तर पर मासिक आबंटन पूर्व बैठकें और दो माह में एक बार निदेशक (परियोजनाएं) स्तर पर समीक्षा बैठकें निर्धारित की थी, इस को मार्च 2007 से अप्रैल 2012 के दौरान चार माह के औसत अन्तराल के बाद आयोजित किया गया था। बैठक के कार्यवृत का रख-रखाव नहीं किया गया था।

इन बैठकों के दौरान कार्यकारी निदेशक (ठेका सेवाएं)/निदेशक (परियोजनाएं) ने अनुदेश दिया कि एनआईटी आदि की समय पर फ्लोटिंग के लिए इनपुटों की शीघ्र आपूर्ति/योग्यता की आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने की जांच की जाएंगी। 47 मामलों की समीक्षा, जहां विशेष तारीखें आबंटन पूर्व कार्यकलापों को पूरा करने के लिए अप्रैल 2007 से मार्च 2012 के दौरान आयोजित की गई इन बैठकों में निर्धारित की गई थी, से पता चला कि 16 मामलों में अनुपालन में एक से 13 माह का विलम्ब था। इसके अलावा, पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों, यदि कोई है, पर अनुवर्ती कार्रवाई के ब्यौरें अभिलेखित नहीं थे।

8.3 पश्च आबंटन मॉनीटरिंग

8.3.1 मासिक प्रगति रिपोर्ट

डब्ल्यूपीपीपी ने निर्धारित किया कि क्षेत्रीय पीईएसएम विभाग से कारपोरेट केंद्र में मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)[108] प्रस्तुत करना अपेक्षित था। तत्पश्चात, कारपोरेट स्तर पर कारपोरेट मॉनीटरिंग समूह से सीएमडी और सभी निदेशकों को क्षेत्रवार सारांशीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

तथापि, एमपीआर का फार्मेट मानकीकृत नहीं था और सूचना को भेजने के लिए विभिन्न क्षेत्रों द्वारा विभिन्न फार्मेटों का उपयोग किया गया था। मार्च 2010, मार्च 2011 और मार्च 2012 से संबंधित सभी नौ क्षेत्रों के 21 एमपीआरज़[109] की नमूना जांच से पता चला कि उप-विक्रेता अनुमोदन, पीजीसीआईएल के दायित्वों, साइट कार्याकलापों आदि जैसे विभिन्न सुसंगत मामलों के संबंध में प्रास्थिति को शामिल नहीं किया गया था, यद्यपि यह डब्ल्यूपीपीपी के अनुसार अपेक्षित था। इसके अलावा, कारपोरेट स्तर पर सीएमजी ने सारांशीकृत एमआईएस को प्रस्तुत नहीं किया जैसा कि निदेशक/सीएमडी को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

---

[108] महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने वाली अपवाद रिपोटों सहित परियोजनाओं से संबंधित पूरी जानकारी और पिछली बैठक में बनाई गई कार्य योजना के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट शामिल है।

[109] 27 एमपीआरज़ (नौ क्षेत्रों के लिए प्रत्येक तीन) में से छः एमपीआरज़ (मार्च 2011 के लिए एसआर-I, मार्च 2010 के लिए एसआर-II, मार्च 2010 और मार्च 2012 के लिए ईआर-I मार्च 2010 एवं मार्च 2011 के लिए एनआर-I) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

8.3.2 परियोजना की समीक्षा बैठकें

पीजीसीआईएल के डब्ल्यूपीपीपी में प्रावधान किया गया है कि परियोजनाओं के सुगम कार्यान्वयन के साथ-साथ कारपोरेट कार्यालय और क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय के लिए क्षेत्रवार परियोजना समीक्षा बैठकें (पीआरएमज़) दो माह में एक बार आयोजित की जाएगी और अध्यक्षता संबंधित क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाएगी।

तथापी, अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि पीआरएमज़ निर्धारित अन्तरालों पर आयोजित नहीं की गई थी क्योंकि 2007-12 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र द्वारा आयोजित की जाने वाली अपेक्षित 30 बैठकों के प्रति क्षेत्रों द्वारा तीन से 12[110] के बीच बैठकें आयोजित की गई थी।

8.3.3 एमओपी स्तर पर तिमाही निष्पादन समीक्षा

उपर्युक्त चर्चा के अनुसार पीजीसीआईएल के स्तर पर परियोजना मॉनीटरिंग प्रणाली के अलावा एमओपी ने भी प्रत्येक तिमाही पर पीजीसीआईएल परियोजनाओं के निष्पादन को मॉनीटर किया। तथापि, 2007-12 के दौरान आयोजित तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों की प्रास्थिति से पता चला कि ऐसी बैठके दो तिमाहियों (2007-08 की तीसरी तिमाही और 2011-12 की चौथी तिमाही) से आयोजित नहीं की गई थी और 14 बैठकें तीन माह से छः माह के बीच के विलम्ब से आयोजित की गई थी। इसे इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 20 परियोजनाओं में से केवल एक को निर्धारित समय में पूरा किया गया था।

8.4 परियोजना समापन रिपोर्टें

पीजीसीआईएल में परियोजना के सभी तकनीकी और वित्तीय ब्यौरों, कार्यान्वयन के दौरान सामने आई मुख्य समस्याओं और उनके समाधान के लिए विशेष पूर्ववर्ती कार्रवाई/गतिविधि को एक साथ लाने के लिए परियाजनाओं के समापन के बाद परियोजना समापन रिपोर्ट तैयार करने की प्रणाली नहीं थी। ऐसी रिपोर्ट भविष्य की परियोजनाओं में ध्यान में रखने हेतु किसी महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ-साथ किसी विशेष प्रक्रिया या अपनाई गई कार्य प्रणाली और इसके अनुभव/उपलब्धि को अभिलेखित करने के लिए उपयोग की जा सकती है।

एमओपी ने पैरा 8.2, 8.3 और 8.4 में समाविष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया (मार्च 2014) और आश्वासन दिया कि इन पर संशोधित डब्ल्यूपीपीपी/ ईआरपी में उचित रूप से विचार किया जाएगा।

---

[110] *डब्ल्यूआर-I-12, डब्ल्यूआर-II-09, एनआर I-09, एनआर II-07, एनईआर-07, एसआर-I-05, एसआर-II-03, ईआर-I-03 और ईआर-II-03।*